



DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION, CHHATTISGARH

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

Government Girl's Polytechnic Campus, Byron Bazaar, Raipur - 492001
शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक परिसर, बैरन बाजार, रायपुर - 492001

Phone: 9771-2331330, 2421376, Fax: 2331331, Website: <http://www.dte.raipur.ac.in>

क्रमांक/शैक्ष/काउं./2010/
प्रति,

5007

रायपुर, दिनांक 29.09.2010


1. स्कूल ऑफ स्टडी-कम्प्यूटर साइंस, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
2. भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, भिलाई हाउस, दुर्ग
3. दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड मैनेजमेंट, सत्य विहार, नरदहा, चंद्रखुरी
4. रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, छतौना, मंदिर हसौद, जिला - रायपुर
5. आर.एस.आर. रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजी. एंड टेक्नालॉजी, कोहका, कुरुद रोड, भिलाई
6. रूंगटा कॉलेज ऑफ इंजी. एंड टेक्नालॉजी, कोहका, कुरुद रोड, भिलाई
7. स्कूल ऑफ आई.टी., मैट्स यूनिवर्सिटी, गुल्लू आरंग, जिला - रायपुर
8. श्री शंकराचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी, जुनवानी, भिलाई
9. श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई

विषय : सत्र 2010-11 में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में ।

...00...

सत्र 2010-11 में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये संचालनालय द्वारा आयोजित केन्द्रीय काउंसिलिंग के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों को नियमानुसार, पारदर्शी तरीके से संस्था स्तर पर भरने की अनुमति दी जाती है । किसी प्रकरण में अनिर्णय/नियमों का अभिप्राय निकालने /व्याख्या करने (interpretation) की स्थिति में प्रवेश से पूर्व संचालनालय से अभिमत ले लिया जाये । इस संबंध में प्री-एम.सी.ए. प्रवेश नियम पुस्तिका का भी अवलोकन कर लिया जाये । यह वेबसाइट www.mkcl.biz.cgmc में दिया हुआ है ।

एम.सी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल सी.जी. प्री-एम.सी.ए. - 2010 के मेरिट के आधार पर ही हो सकेंगे । जो अभ्यर्थी सी.जी. प्री-एम.सी.ए. - 2010 के रैंकधारी नहीं है, उसे प्रवेश हेतु पात्रता नहीं है । अभ्यर्थी को स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । अभ्यर्थी का 12वीं/स्नातक स्तर पर एक विषय गणित होना अनिवार्य है । प्रवेश की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2010 है इसके बाद कोई भी प्रवेश बिना विश्वविद्यालय के पूर्वानुमति के न किये जायें । संस्था स्तर पर प्रवेश दिये गये छात्रों की जानकारी वेबसाइट www.mkcl.biz.cgmc में ऑन लाईन कन्फर्म करना अनिवार्य है । यह कार्य प्रवेश के समय ही करना अनिवार्य है । यदि कोई प्रवेश निरस्त किया जाता है तो उसे भी ऑनलाईन निरस्त किया जाना है ।


अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
रायपुर

पृ क्रमांक/शैक्ष/काउं./2010/

रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छ.ग. शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
2. रजिस्ट्रार, छ.ग. स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर - 8, भिलाई ।

अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़
रायपुर